[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 9/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, **2018**

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2933 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48**/2012-**सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 08 अक्तूबर, **2012** के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 22 सितम्बर, **2017** जिसे दिनांक 22 सितम्बर, **2017** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975 (1975** का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम, **1975** से संदर्भित किया गया है) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 23 के अनुपालन में सनसैट रिव्यू शुरू की थी ;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने इन विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 47/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 06 अक्तूबर, **2017** जिसे सा.का.नि. 1222 (अ) दिनांक 06 अक्तूबर, **2017** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था, के तहत 07 अक्तूबर, **2018** तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ा दी थी;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या एफ सं. 7/14/2017-डीजीएडी, दिनांक 19 फरवरी, **2018** को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

(i) प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने के बाद की स्थिति में घरेलू उद्योग की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति टिकाऊ एवं मजबूत रही है । विषयगत देशों जैसे कि यूरोपीय संघ, ईरान और जापान से क्षति की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई थी । इंडोनेशिया से होने वाले आयात के दौरान भी इस क्षति अवधि में कोई भी क्षति नहीं हुई थी । यहां तक की क्षति अवधि के बाद भी कोई क्षति नहीं हुई थी । इसके अलावा क्षति अवधि के बाद भी विषयगत देशों से होने वाले आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई थी ;

(ii) इस क्षति अवधि के दौरान कतर से जीएसएफसी के द्वारा किया गया आयात काफी अधिक था । क्षति अवधि के बाद भी होने वाला आयात विषयगत देश से होने वाले आयात मूल्य से कम मूल्य पर था या इसके समतुल्य था । अत: यदि कीमतों में कोई ह्रास आया भी था तो उसके लिए विषयगत देशों से होने वाले निर्यात को कारण नहीं माना जा सकता ;

(iii) प्रतिपाटन शुल्क से जो संरक्षण की बात है वह विषयगत देशों से होने वाले फालतू आयात के कारण होने वाली सारवान क्षति को रोकने के लिए है और इसका प्रयोग जीएसएफसी के द्वारा निर्धारित प्रतिफल, जो कि अभी होना है, के अंतर्गत उत्पाद की अतिरिक्त क्षमता के संरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है ;

और यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात से संबंधित सनसैट रिव्यू को समाप्त करने की सिफारिश की है और इन्होंने यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" के आयात पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 14(ख) के तहत जारी रखने की सिफारिश नहीं की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975 (1975** का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 18, **20** और 23 के साथ पठित, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 08 अक्तूबर, **2012** जिसे सा.का.नि. 754 (अ) दिनांक 08 अक्तूबर, **2012** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़कर, करती है ।

(फाइल संख्या 354/319/2011-टीआरयू (पार्ट. 1))

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार